

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- ई-32/स्वा./स्वा.निरी./ (987)/2019/


दिनांक:-

आदेश

श्री शिव राम, स्वास्थ्य निरीक्षक, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रूपवास (भरतपुर) की जन्मतिथि दिनांक 05/01/1960 है, को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31/01/2020 को राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिव राम, स्वास्थ्य निरीक्षक के विरूद्ध आज दिनांक तक-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई भी विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

  
(मुकुल शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- ई-32/स्वा./स्वा.निरी./ (987)/2019/560

दिनांक:- 4/9/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पेशन एवं पेशनर्स वैलफेयर विभाग, राज0 जयपुर।
- 2 सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन- भरतपुर।
- 3 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर को उनके पत्र क्रमांक 4412 दिनांक 08/08/2019 के सन्दर्भ में।
- 4 ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रूपवास (भरतपुर) को प्रेषित कर लेख है कि कार्मिक के सेवानिवृत्ति से पूर्व नशुदूज एवं रिकवरी की सूचना प्राप्त कर, पेशन प्रकरण समय पर तैयार कर, पेशन विभाग को भिजवाते हुए निदेशालय को अवगत करावे।
- 5 श्री शिव राम, स्वास्थ्य निरीक्षक, द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 6 प्रभारी, सर्वण रुम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
- 7 आदेश पत्रवली।

  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।